APPENDIX-L

FORM 'S'

[See rule 87(5)] Fire Audit Report

Year 2025-26

## **REF N0- FIRE/HOS/63**

To,

THE PRINCIPAL
WEST CENTRAL RAILWAYS SE. SEC. SCHOOL
NEW YARD ITARSI NARMADAPURAM (M.P.)

Sir,

Subject-: Submission of fire audit report of WEST CENTRAL RAILWAYS SE. SEC. SCHOOL, Regarding certification of fire safety of building.

Report valid from 08/09/2025 to 07/09/2026

REFERENCE: -Letter no. 4981/895002/18.3 Bhopal dated- 16.12.2022 of ministry of urban administration, Bhopal.

Ministry of urban administration and housing department, Bhopal, through circulars letter no. 4981/895002/2022/18.3 Bhopal dated 16.12.2022 ordered that it will be mandatory to have fire safety certificate before occupation in buildings as follows a building.

I ASHIWINI KUMAR CHOUHAN (Name of the Fire Engineers) have inspected your building /Premises plot area 2800 sqm G+01 on 08/09/2025 Date and checked all Fire Equipment's/ installation and have completed the Fire Audit of the said building /Premises for which is applied for Fire NOC Issued by Fire Authority.

## 2. Details of fire system installed are as below: -

| S.<br>No | Particular                                   | Available/Installation Or Not installed (as per requirements give | Comments for working of system (Attach details, if needed) |  |
|----------|--|---|--|--|
|          |  | comments)   |  |  |
| 1        | Access                                       | Sufficient space available for fire brigade                       | More than 06-meter-wide road                               |  |
| 2        | Wet riser                                    | Not Applicable  | Not Applicable   |  |
| 3        | Down comer                                   | Not Applicable  | Not Applicable   |  |
| 4        | Hose reel                                    | Installed   | 02 NOS   |  |
| 5        | Automatic sprinkler system                   | Not Applicable  | Not Applicable   |  |
| 6        | Yard hydrant                                 | Not Applicable  | Not Applicable   |  |
| 7        | Underground tank with draw off connection    | Not Applicable  | Not Applicable   |  |
| 8        | Terrace tank                                 | 10000Litre storage  |  |  |
| 9        | Fire pump                                    | Not Applicable  | Not Applicable   |  |
| 10       | Terrace pump                                 | Available   |  |  |
| 11       | First aid firefighting appliances            | INSTALLED   | Installed at required locations and well maintained        |  |
| 12       | Pressurization system                        | Not available   | Natural ventilated   |  |
| 13       | Auto detection system                        | Not Applicable  |  |  |
| 14       | Manual operated electrical fire alarm system | Not Applicable  |  |  |
| 15       | P.A system with talk back facility           | AVAILABLE   |  |  |
| 16       | Emergency light                              | Available   |  |  |
| 17       | Auto D.G set                                 | Not applicable  |  |  |
| 18       | Illuminated exit sign                        | Available   |  |  |
| 19       | Means of escape                              | Available 01meter wide  | 02 escape in premises                                      |  |
| 20       | Compartmentation                             | Available   |  |  |
| 21       | MCB/ELCB                                     | Installed as per IS 60898   |  |  |
| 22       | Fireman switch in lift                       | NA  | NA   |  |

| 23 | Hose boxes with delivery hose and branch | Not Applicable |             |
|----|--|----------------|-------------|
| 24 | Refuge area                              | NA             | NA          |
| 25 | Any other installation                   | Available      | Sand bucket |

## शर्ते

- 1. भवन अनुज्ञा में लिखिर्त सभी शर्तो को मान्य करना अनिवार्य होगा।
- 2. भवन का स्थल निरीक्षण नियमानुसार द्वारा भवन का स्थल निरीक्षण नियमानुसार द्वारा भवन कर्मचारी की उपस्थिति में उपकरणों को संचालित कराकर तैयार / संस्था के मैनेजर /किया गया है। मौका निरीक्षण रिपोर्ट में फिक्स फाय INSTALLATION भवन में स्थापित फस्ट फायर फाईटिंग व्यवस्था स्थल निरीक्षण के समय निर्धारित मापदण्ड अनुसार पाई गई है। जिसका स्पष्ट उल्लेख निरीक्षण प्रतिवेदन में किया गया है। निरीक्षण रिपोर्ट में उल्लेखित प्रावधान नेशनल बिल्डिंग कोड भाग 2016-फायर सेफटी के प्रावधानों अनुसार स्थापित किये गये है। जिसका निरीक्षण प्रतिवेदन में 04 विस्तृत उल्लेख किया गया है।
- 3. आवेदक को कायार्लय निरीक्षण रिपोर्ट में उल्लेखित प्रावधानों के साथ साथ फायर सेफटी हेतु नेशनल बिल्डिंग कोड भाग 2016-04 में निर्धारित अन्य आवश्यक प्रावधानों एवं निर्धारित आईएस मानकों का पालन करना अनिवार्य होगा। स्थल निरीक्षण में इन प्रावधानों का पालन न पाये जाने पर अग्नि प्राधिकारी को फायर सुरक्षा प्रमाण पत्र निरस्त करने का पूर्ण अधिकार होगा।
- 4. आवेदक को नियमानुसार स्थापित अग्निशमन उपकरणों का निर्धारित आईएस मानकों के अनुसार प्रावधानित समयसीमा में संधारण करना एवं संधारण हेतु आवश्यक अर्हताधारी कर्मचारी रखना अनिवार्य होगा।
- 5. दिनाक 30 जून से पहले प्रति वर्ष अग्नि सुरक्षा ऑडिट कराकर अग्नि विभाग में प्रस्तुत करना अनिवर्य होगा।
- 6. दिनाक 30 जून से पहले विद्युत सुरक्षा विभाग से प्रति वर्ष इलेक्ट्रिकल सेफ्टी ऑडिट करा कर समन्धित डिपार्टमेंट को प्रस्तुत करना होगा
- 7. भवन अनुज्ञा प्रमाण पत्र म.प. भूमि विकास नियम 2012 के अंतर्गत कोई भी त्रुटि पाए जाने पर समन्धित विभाग इस प्रमाण पत्र को तत्काल रूप से निरस्त करने का अधिकार होगा।
- 8. भविष्य में किसी भी प्रकार की आगजनी की अप्रिय घटना घटित होती है, तो इसके लिये स्वयं भवन स्वामी जिम्मेदार होंगे। अन्य कोई नहीं।

Date: - 08/09/2025

Signature

ER. ASHIWINI KUMAR CHOUHAN REG. NO. 02/BFB/2023-24 MOB.NO. +917000466976